तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज कुन्नीदेवी बनाम प्रेमकुमार वगै अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मुकदमा नम्बर 173/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/12/23	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं राज पैरोकार उपस्थित । पूर्व मे अप्रार्थी संख्या 1 ता 10 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही आदेश किए गए है। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीनी के नाम से मौजा रोही 14 एमकेडी मु0नं0 182/61 के कि0नं0 2/2 मे 16 बिस्वा, कि0नं0 3 ता 9 मे 7 बीघा कुल तााादादी 7.16 बीघा अनकमांड खातेदारी भूमि स्थित है। जिस पर वादीनी का कब्जाकाश्त है। प्रार्थीनी अपने खेत में मु0नं0 182/61 पहुंचने के लिए मु0नं0 182/60 के कि0नं0 5,6,15,16,25 के पूर्व सींव से होते हुए अपने खेत में प्रवेश कर रही है क्योंकि मु0नं0 182/59 के कि0नं0 21 ता 25 मे स्वीकृत रास्ता चल रहा है। उक्त रास्ते से होते हुए प्रार्थीनी अपने खेत मे आवागमन कर रही है। इससे नजदीक एवं सुविधा जनक अन्य कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। इस कारण प्रार्थीनी उक्त किलो मे पूर्वी दिशा मे 02–02 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 के नाम मु0नं0 182/60 के कि0नं0 5 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जबकी मु0नं0 182/60 के कि0नं0 6,15,16,25 अप्रार्थीगण संख्या 11 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अराजीराज दर्ज है। अतः प्रार्थीनी द्वारा जरिये वकील काश्त हेतु खेत तक आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया । राजपेरोकार उपस्थित तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पूर्व मे मु0नं0 182/61 के कि0नं0 21 तक मार्ग मु0नं0 182/53 से टकराया हुआ था जो भारतमाला सडक आने से रास्ता बन्द हो गया है। अतः वांछित रास्ता मु0नं0 182/60 प्रार्थियां को कि0नं0 5,6,15,16,25 मे दिया जाना उचित की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अध्ययन एवं मनन किया । प्रार्थीयां को अपने खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु वर्तमान में कोई कटानी रास्ता स्वीकृत नहीं है तथा ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध हैं। तहसीलदार लूनकरनसर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण रोही मौजा लूनकरनसर के मु0नं0 182/60 प्रार्थियां को कि0नं0 5,6,15,16,25 मे दिया जाना उचित की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 के विरूद्ध एकतरफा आदेश किए गए है। रास्ता हेतु शेष भूमि आराजीराज है जिसके सम्बन्ध मे राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक प.3(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में दिये गये निर्देशानुसार यदि कोई खातेदार अपनी जौत तक पहुंचने के लिये राजकीय भूमि में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार को ऐसी सुविधा के लिये आवेदन करने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये की मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जौत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव है । उक्त स्थिति में जिला स्तरिय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत किया जावें। स्टेट को रास्ता स्वीकृत किया जाने में कोई आपत्ति नहीं हैं । अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए तहत रोही मौजा मु0नं0 182/60 प्रार्थियां को कि0नं0 5,6,15,16,25 पूर्वी सींव पर 02–02 बिस्वा रास्ता नियमानुसार राशि जमा होने पर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। मु0नं0 182/60 प्रार्थियां को कि0नं0 6,15,16,25 जिसकी किमत डीएलसी की दुगनी दर से जरिये चालान राजकोष मे जमा किया जावे एवं शेष मु0नं0 182/60 प्रार्थियां को कि0नं0 5 की राशि नियमानुसार सम्बन्धित पक्षकार को भुगतान किया जावे । उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर को पालनार्थ प्रेषित की जावें की रिकॉर्ड में स्वीकृत गैर मुमकिन रास्ता का अंकन निर्धारित राशि राजकोष तथा सम्बन्धित पक्षकार के जमा होने पर करे एवं पालना रिपोर्ट प्रेषित करावे। पत्राावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्तर हो । यह आदेश आज दिनांक 22/12/2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (संजीव कुमार) उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर	

उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर